सं0 सं0 – 14/एम4–01/12

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय :–स्वतंत्रता सेनानियों एवं जे0 पी0 सेनानियों को मुफ्त चिकित्सा योजना की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य सरकार द्वारा जे0 पी0 सेनानियों को सम्मान योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत सेनानियों एवं सम्मान पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बिन्दु पर निर्णय सरकार के समक्ष विचारधीन था।

2. इसके आलोक में निम्न प्रावधान किये गये है।

(i) हकदारी – स्वतंत्रता सेनानियों एवं जे0 पी0 सेनानियों को एवं उनके पति/पत्नी (जो भी लागू हो) इसके अधीन उपचार की सुविधा के हकदार होंगे।

(ii) राज्य के अंदर उपचार – स्वतंत्रता सेनानियों एवं जे0 पी0 सेनानियों को एवं उनके पति/पत्नी (जो भी लागू हो) को राज्य के अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी अस्पतालों में अंतर्वासी एवं बहिर्वासी चिकित्सा मुफ्त दी जाएगी। सभी सरकारी अस्पताल प्रबंधनों द्वारा जे0 पी0 सेनानी एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था एवं त्वरित इलाज हेतु भी समुचित व्यवस्था होगी।

(iii) सरकारी अस्पतालों से भिन्न अन्य अस्पतालों (राज्य के बाहर अस्पताल सहित) में उपचार :– स्वास्थ्य विभाग के अधीन "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्रावधानों के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों एवं जे0 पी0 सेनानियों को एवं उनके पति/पत्नी (जो भी लागू हो) को चिकित्सीय सुविधा दी जायेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्रावधानों के अनुरुप सहायता हेतु इन्हें गृह विभाग में आवेदन देने की आवश्यकता होगी। प्रधान सचिव, गृह विभाग इनके आवेदन को निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, की अध्यक्षता में गठित समिति को भेज देंगें जहाँ से इनके आवेदन को स्वीकृति एवं संबंधित अस्पताल को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–
(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहर गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 873 (14) पटना, दिनांक– 23/7/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / सभी प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव / वित्त विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / अधीक्षक सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव